CONSUMER VOICE

Media Coverage States stakeholders' workshop for dissemination of "Big Tobacco - Tiny Targets" Madhya Pradesh

City:Bhopal

Free Express

Tobacco products sold within 100 yards of schools in state: Report

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

A new study has revealed that despite ban, tobacco products are being sold within 100 yards of School premises in Madhya Pradesh.

National Centre for Human Settlements & Environment (NCHSE) along with Consumer Voice, New Delhi organised a stakeholders' workshop to present the finding of the new study titled 'Big Tobacco Tiny Targets' on selling of tobacco products within the 100 yards of School premises in 20 cities across 6 states of India, including 5 cities (Bhopal, Indore, Sagar, Jabalpur and Gwalior) of Madhya Pradesh as well as to sensitise stakeholders to support tobacco vendor licensing and effective tobacco control measures to protect young generation from tobacco menace, here on Thursday.

NCHSE conducted the study in Madhya Pradesh to determine the extent of tobacco products being marketed and sold around schools in State. A sample of 85 schools and 75 points of sale were surveyed during this study in these cities.

The report revealed that despite the prohibition on sales of tobacco products near educational institutions, numerous shops/vendors/points of sale sell & advertise tobacco products around schools and that the multinational tobacco companies are systematically targeting children as young as eight year old by selling tobacco products and placing tobacco advertisements near schools premises. These egregious tactics, are happening all over the country in clear violation of sections 5 and 6 of Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA 2003).

The key findings of study in Madhya Pradesh presented by Consumer Voice advisor Hemant Upadhyay are- nearly half of the vendors around schools sell tobacco products, 38 points of sale were found selling tobacco products out of the 75 surveyed around 53 schools in 5 cities.

Street and Mobile vendors were the most common form of vendors at 78% of the 38 tobacco points of sale observed.

Out of 32 tobacco points of sale observed, 88% vendors found to be selling cigarettes of multinational tobacco companies. 100% vendors advertise tobacco products around schools.

FREE PRESS Fri, 15 March 2019

Patrika (Print & online)

एनसीएचएसई ने प्रदेश के 5 शहरों में किया सर्वे : सामने आए तथ्य, स्कूलों के आसपास बिक रहे गुटखा-सिगरेट

8 साल तक के बच्चों को निशाना बना रही तंबाकू कंपनियां

पैकेट के बजाए खुली सिगरेट बेच रहे विक्रेता

पत्रिका Fri, 15 March 2019
epaper.patrika.com/c/37615913

Dainik Bhaskar (Print & online)

भास्कर खास • कंज्यूमर वाइस और एनसीएचएसई संस्था की साझा रिपोर्ट में खुलासा. कोटपा कानून और एफआईआर का प्रावधान, फिर भी...

50% से ज्यादा स्कूल कैंपस के 100 मी. के दायरे में बेच रहे तंबाकू उत्पाद

बच्चों को आकर्षित करने के लिए सिंगल स्टिक के रूप में बेची जा रही सिगरेट-बीड़ी

सेलिंग पाइंट पर 72 तरह के तंबाकू विज्ञापन मिले

People’s Samachar

स्कूल से 100 गज के दायरे में बिक रहे तंबाकू उत्पाद

भोपाल। लचर प्रशासन के चलते मप्र में प्रतिबंध के बाद भी स्कूल परिसर से 100 गज के दायरे में खुलेआम तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यह खुलासा देश के 6 राज्यों के 20 शहरों में स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के अध्ययन से हुआ है। यह रिपोर्ट गुरुवार को नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट की कार्यशाला में पेश की गई।

Free Press Journal:

https://www.freepressjournal.in/bhopal/bhopal-tobacco-products-sold-within-100-yards-of-schools-in-state-report/1482461

City: Jabalpur

The Hithvada

Sagar

Dainik Acharan

प्रतिबंधित तंबाकू को लेकर कार्यशाला का आयोजन

Gwalior:

Dainik Jagran

CONSUMER VOICE

दैनिक जागरण

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित

ग्वालियर

कंज्यूमर वॉइस, नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (एनसीएचएसई), भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, साथ-साथ तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था।

कार्यक्रम की शुरुआत में अविनाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर, एनसीएचएसई ने भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उसके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 लागू किया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. आलोक पुरोहित, जिला नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण सेल, ग्वालियर, शिक्षा विभाग से आई ए जैदी, एवं संगीता रागोरिया, सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट से उमेश वशिष्ठ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा, एवं ओमप्रकाश तिमराजे ने अपने विचार साझा किये।

कार्यशाला में बताया गया कि कोटपा के अनुपालन में आम नागरिकों का बड़ा योगदान होगा। यदि वे जागरूक हों, अपने आसपास धूम्रपान सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन करने वालों की जानकारी सम्बंधित विभाग को दें, वे फोटो खींचकर जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण सेल डॉ. आलोक पुरोहित को मोबा. 9425735434 पर भेज सकते हैं जिससे कार्यवाही की जा सके। तम्बाकू का सेवन एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसे लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान तम्बाकू सेवन से बचाव पर जागरूकता करने वाली तीन लघु फिल्मों को भी दिखाया गया।

ओपन हाउस डिस्कशन में प्रतिभागियों ने वक्ताओं से सवाल-जवाब किये, कि कैसे तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। कार्यशाला में ग्वालियर के प्रबुद्ध नागरिक, छात्र-छात्रायें, शिक्षक-शिक्षिकाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों विशेषकर डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं आदि सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में रजनीश सक्सेना द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

Dainik Bhaskar

बुधवार 10 अप्रैल, 2019 | चैत्र शुक्ल पक्ष-5, 2076

रोक के बाद भी स्कूलों के पास बेचे जा रहे तंबाकू युक्त प्रॉडक्ट

कार्यशाला में तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों से संवाद करते एक्सपर्ट।

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू निषेध होने के बाद भी तंबाकू युक्त प्रॉडक्ट बेचे जा रहे हैं। कंज्यूमर वॉइस दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एंवायरमेंट (एनसीएचएसई) की ओर से 2017 और 2018 में कराए गए सर्वे में कोटपा 2003 कानून का उल्लंघन पाया गया। इसमें देखा गया कि 10 वर्ष की औसत आयु के बच्चे पहली बार स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। यह सर्वे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और जबलपुर के 53 स्कूलों के आसपास कराया गया। यह बात एनसीएचएसई भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने कही। वह मंगलवार को सिटी सेंटर स्थित एक होटल में 'चलो युवा पीढ़ी को तंबाकू की लत से बचाएं' कार्यशाला में बोल रहे थे।

Aacharan

CONSUMER VOICE

आचरण

ग्वालियर

बुधवार 10 अप्रैल 2019

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

ग्वालियर। कंज्यूमर वॉइस, नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉरह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (एनसीएचएसई), भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की

कार्यशाला आयोजित

बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, साथ-साथ तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था।

कार्यक्रम की शुरुआत में अविनाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर, एनसीएचएसई ने भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष रुप से युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 लागू किया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. आलोक पुरोहित, जिला नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण सेल, ग्वालियर, शिक्षा विभाग से आई ए जैदी एवं संगीता राजोरिया, सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट से उमेश वशिष्ठ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा, एवं श्रीप्रकाश निमराजे ने अपने विचार साझा किये।

कार्यशाला में बताया गया कि कोटपा के अनुपालन में आम नागरिकों का बड़ा योगदान होगा। यदि वे जागरूक हों, अपने आसपास धुम्रपान सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन करने वालों की जानकारी सम्बंधित विभाग को दें, वे फोटो खीचकर जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण सेल डॉ. आलोक पुरोहित को मेबा. 9425735434 पर भेज सकते हैं जिससे कार्यवाही की जा सके। तम्बाकू का सेवन एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसे लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान तम्बाकू सेवन से बचाव पर जागरूकता करने वाली तीन लघु फिल्मों को भी दिखाया गया।

ओपन हाउस डिस्कशन में प्रतिभागियों ने वक्ताओं से सवाल-जबाब किये, कि कैसे तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। कार्यशाला में ग्वालियर के प्रबुध्य नागरिक, छात्र-छात्रायें, शिक्षक-शिक्षिकाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों विशेषकर डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं आदि सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में रजनीश सक्सेना द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

Chambal Wani

दैनिक चम्बल वाणी

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित

ग्वालियर 09 अप्रैल। कंज्यूमर वॉइस, नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉरह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (एनसीएचएसई),

भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था।

कार्यक्रम की शुरुआत में श्री अविनाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर, एनसीएचएसई ने भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष रुप से युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों

(व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 (कोटपा) लागू किया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. आलोक पुरोहित, जिला नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण सेल, ग्वालियर, शिक्षा विभाग से श्री आई ए जैदी, एवं श्री संगीता राजोरिया, सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट से श्री उमेश वशिष्ठ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा, एवं श्रीप्रकाश निमराजे ने अपने विचार साझा किये।

कार्यशाला में बताया गया कि कोटपा के अनुपालन में आम नागरिकों का बड़ा योगदान होगा। यदि वे जागरूक हों, अपने आसपास धुम्रपान सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन करने वालों की जानकारी सम्बंधित विभाग को दें, वे फोटो खींचकर जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण सेल डॉ. आलोक पुरोहित को मेबा. 9425735434 पर भेज सकते है जिससे कार्यवाही की जा सके।

तम्बाकू का सेवन एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसे लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान तम्बाकू सेवन से बचाव पर जागरूकता करने वाली तीन लघु फिल्मों को भी दिखाया गया।

ओपन हाउस डिस्कशन में प्रतिभागियों ने वक्ताओं से सवाल-जवाब किये, कि कैसे तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। कार्यशाला में ग्वालियर के प्रबुध्य नागरिक, छात्र-छात्रायें, शिक्षक-शिक्षिकाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों विशेषकर डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं आदि सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में श्री रजनीश सक्सेना द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

Hindustan Express

CONSUMER VOICE

stan express.online भोपाल, बुधवार 10 अप्रैल 2019 email - hindustanexpress

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

जागरूकता कार्यशाला आयोजित

नगर संवाददाता

ग्वालियर। कंज्यूमर वॉइस, नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉरह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (एनसीएचएसई), भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, साथ-साथ तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था।

कार्यक्रम की शुरुआत में अविनाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर, एनसीएचएसई ने भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 लागू किया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. आलोक पुरोहित, जिला नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण सेल, ग्वालियर, शिक्षा विभाग से आई ए जैदी एवं संगीता राजोरिया, सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट से उमेश वशिष्ठ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा, एवं श्रीप्रकाश निमराजे ने अपने विचार साझा किये।

कार्यशाला में बताया गया कि कोटपा अनुपालन में आम नागरिकों का बड़ा योगदान होगा। यदि वे जागरूक हों, अपने आसपास धुम्रपान सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन करने वालों की जानकारी सम्बंधित विभाग को दें, वे फोटो खीचकर जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण सेल डॉ. आलोक पुरोहित को मेबा. 9425735434 पर भेज सकते हैं जिससे कार्यवाही की जा सके। तम्बाकू का सेवन एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसे लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान तम्बाकू सेवन से बचाव पर जागरूकता करने वाली तीन लघु फिल्मों को भी दिखाया गया।

ओपन हाउस डिस्कशन में प्रतिभागियों ने वक्ताओं से सवाल-जवाब किये, कि कैसे तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। कार्यशाला में ग्वालियर के प्रबुद्ध नागरिक, छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों विशेषकर डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं आदि सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में रजनीश सक्सेना द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

Nai Duniya

नईदुनिया

नई सोच, नया अंदाज

ग्वालियर, इंदौर, भोपाल (नवदुनिया), जबलपुर, रायपुर और बिलासपुर से एक साथ प्रकाशित

ग्वालियर, बुधवार 10 अप्रैल 2019

एक्सपर्ट ने बताया–कैसे पा सकते हैं तंबाकू से छुटकारा

ग्वालियर। नईदुनिया रिपोर्टर

Navbharat Gawali

नवभारत

ग्वालियर | बुधवार | 10 अप्रैल, 2019 | वर्ष 24 | अंक 59 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 3.00 | www.navabharat.com

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

नवभारत न्यूज

Patrika

सेहत के लिए हानिकारक तम्बाकू, बचाव जरूरी

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

ग्वालियर ◆ कंज्यूमर वॉइस नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एन्वॉयर्नमेंट भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एक निजी होटल में तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, साथ-साथ तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था।

अधिनियम का कड़ाई से पालन हो : कार्यक्रम की शुरुआत में अविनाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर एनसीएचएसई ने देश और प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जो अधिनियम लागू किया है। उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इस पैनल में डॉ. आलोक पुरोहित जिला नोडल अधिकारी, शिक्षा विभाग से आईए जैदी, संगीता राजोरिया आदि उपस्थित रहे।

Swadesh Gwalior

स्वदेश

ग्वालियर, बुधवार 10 अप्रैल 2019 08

तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से बचें

जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित

ग्वालियर, न.सं.। कन्ज्यूमर वॉइस नई दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंटस एंड एनवायरनमेंट भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। साथ-साथ तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था। कार्यक्रम की शुरुआत में अविनाश श्रीवास्तव डिप्टी डायरेक्टर, एनसीएचएसई ने भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू के सेवन की मात्रा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों, व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, और आपूर्ति और वितरण का निषेध अधिनियम, 2003 लागू किया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

तम्बाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान डॉ. आलोक पुरोहित, जिला नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण सेल शिक्षा विभाग से आईए जैदी ने भी विचार व्यक्त किए और कहा कि तम्बाकू का सेवन एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसे लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान तम्बाकू सेवन से बचाव पर जागरूकता करने वाली तीन लघु फिल्मों को भी दिखाया गया। ओपन हाउस डिस्कशन में प्रतिभागियों ने वक्ताओं से सवाल-जवाब किए कि कैसे तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है।

Indore:

Patrika

CONSUMER VOICE

तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला

धूमपान करने वाले 10 में से 9 लोग कैंसर रोगी

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

इंदौर ◆ नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट (एनसीएचएसई), भोपाल और भोज शोध संस्थान, धार के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स में तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसमें प्रोफेसर आनंद कर ने बताया, धूम्रपान करने वाले 10 लोगों में से 9 लोग कैंसर रोगी हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी बीमारियों के बारे में भी चर्चा की।

कार्यक्रम का उद्देश्य मप्र के 5 शहर भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर और ग्वालियर के स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तंबाकू विक्रेता लाइसेंस और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए चर्चा करना भी था। एनसीएचएसई के महानिदेशक डॉ. प्रदीप नंदी ने कहा, भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन के लिए राज्यों को निर्देशित करने के बावजूद इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य नही किया गया है। एनसीएचएसई के अविनाश श्रीवास्तव ने इंदौर सहित मध्यप्रदेश के 5 शहरों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

तंबाकू के खतरे से युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए जरूरतों और रणनीतियों पर पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. एसएस नैयर, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोफेसर आनंद कर, थायरॉयड विशेषज्ञ डॉ. दीपेंद्र शर्मा, निदेशक, भोज शोध संस्थान धार, डॉ. सीपी मैथ्यू, प्राचार्य, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क और डॉ. सुधा जैन, फैकल्टी, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने अपने विचार साझा किए। डॉ. सुधा जैन ने वोट ऑफ थैंक्स दिया।

पत्रिका Sat, 06 April 2019
epaper.patrika.com/c/38281599

Electronic Coverage:

Sagar TV

S News (https://youtu.be/1jXxaIApl7g)